

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प./17/

दिनांक:- /07/2017

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।

**विषय:-**केन्द्रीय कारागृहों/जेल डिस्पेन्सरियों में दन्त चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-**राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) 2808/2012 सूओ मोटो बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.16 की पालना एवं अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के पत्रांक 15653-96 दिनांक 14.07.17 एवं निदेशालय के पत्रांक 162 दिनांक 01.05.17 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) 2808/2012 सूओ मोटो बनाम सरकार एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 18.07.16 के क्रम में लेख है कि जेल डिस्पेन्सरियों/केन्द्रीय कारागृहों में आप द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही दन्त चिकित्सकों की सुविधा की सूचना निम्न प्रफोर्मा में 3 दिवस में ई-मेल आई.डी. adddirgaz@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पदनाम	कहां से	कहां को	पारी	उपस्थिति दिनांक/कब से कार्यरत है

अति० निदेशक(राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प./17/472

दिनांक:- 20/07/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- सम्बन्धित
- 7 प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे एवं सम्बन्धित को ई-मेल करावे।
- 8 निजि/आदेश पत्रावली।

अति० निदेशक(राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान-जयपुर